The Jharkhand Municipal (Amendment) Act, 2006

Act 3 of 2007

Keyword(s):
Penal Provision, Amount of Fine, Reserved Seat

Amendments appended: 21 of 2018, 9 of 2021, 4 of 2023

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

झारखण्ड सरकार

सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या-82

26 माघ, 1928 शकाब्द

राँची, वृहस्पतिवार 15 फरवरी, 2007

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

15 फरवरी, 2007

संख्या-एल०जी०-3/2006-09/लेज०1--झारखण्ड विधान मंडल का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर राज्यपाल दिनांक 7 फरवरी, 2007 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है :-

झारखण्ड नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2006
(झारखण्ड अधिनियम 03, 2007)

झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2000 का संशोधन करने के लिए अधिनियम ।

प्रस्तावना :-

वर्त्तमान में बिहार एवं उड़ीसा नगरपालिका अधिनियम, 1922 जो झारखण्ड सरकार द्वारा अंगीकृत है, की दण्ड संबंधी धाराओं-103(1)(2), 108(4), 150(B)(3), 151, 159, 168, 174(2), 175(2), 176(2), 180(5), 182, 184(2), 192, 193, 194(2), 203(1)(2), 211, 212(2), 214(2), 215(2), 218(2), 220, 220A(2), 225(2), 227(2), 228(2), 230(2), 233(2), 236(2), 240(2), 242, 251(2), 256(1)(2), 263, 264(A)(7), 271(3), 277, 278, 279(4), 281(3), 282(2), 283(2), 288(1), 289(2), 310(1), 311, 312, 321(1)(2), 322, 323, 328(1), 329, 331(2), 332, 333, 336, 351(2), 361 में नगरपालिका एवं अधिसूचित क्षेत्र समिति क्षेत्रान्तर्गत देय नागरिक सुविधा से संबंधित नियमों का उल्लंघन करने पर दण्ड का प्रावधान किया गया है जिसमें दण्ड राशि का उल्लेख किया गया है । प्रत्येक धारा में अलग-अलग दण्ड की राशि तय है, जो वर्त्तमान समय में काफी कम है अतएव दण्ड की राशि में वृद्धि किया जाना आवश्यक हो गया है । इससे निकायों के राजस्व में वृद्धि होगी ।

इसी प्रकार, झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2000 में आयुक्तों के पद पचास प्रतिशत की सीमा के अन्तर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के बीच आरक्षित करने के लिए धारा-13 की उपधारा 3 (a) में अन्त:स्थापन का प्रस्ताव है, जिसके अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के लिए वार्ड आयुक्तों के पद पचास प्रतिशत की सीमा तक आरक्षित करना आवश्यक है ।

इसलिए, भारत गणराज्य के 57वें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. **संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारंभ** -

(i) यह अधिनियम "झारखण्ड नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम - 2006" कहा जा सकेगा ।

(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा ।

(iii) यह तुरंत प्रवृत्त होगा ।

2. **झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2000 की धारा-13(3)(a) मे अन्तःस्थापन के संबंध मे :-**

झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम की धारा- 13(3)(a) के चौथी पंक्ति में वर्णित शब्द "कुल जनसंख्या से है" के पश्चात् एवं "और ऐसे स्थान" के पूर्व निम्न वाक्यांश अन्तःस्थापित किए जायेंगे -

"परन्तु आरक्षित सीटों की संख्या नगरपालिका की सीटों की कुल संख्या का पचास प्रतिशत तक सीमित रहेगा"

3. **झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2000 की दण्ड संबंधी धारा का संशोधन :-**

(i) धारा-103(1) में अंकित बीस (20) रूपये के स्थान पर डेढ़ हजार (1500) रूपये एवं पाँच (5) रूपये प्रतिदिन के स्थान पर सौ (100) रूपये प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

(ii) धारा-103(2) में अंकित दो सौ (200) रूपये के स्थान पर दो हजार (2000) रूपये प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

(iii) धारा-108(4) में अंकित दस (10) रूपये के स्थान पर पाँच सौ (500) रूपये प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

(iv) धारा-150(B)(3) में अंकित पचास (50) रूपये के स्थान पर पांच सौ (500) रूपये एवं एक (1) रूपये प्रतिदिन के स्थान पर पचीस (25) रूपये प्रतिदिन प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

(v) धारा-151 में अंकित दो (2) रूपये प्रतिवर्ष के स्थान पर दस (10) रूपये प्रतिवर्ष प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

(vi) धारा- 159 में अंकित पांच (5) रूपये के स्थान पर पन्द्रह (15) रूपये प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

(vii) धारा- 168 में अंकित एक सौ (100) रूपये के स्थान पर पाँच सौ (500) रूपये प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

(viii) धारा- 174(2) में अंकित पचास (50) रूपये के स्थान पर एक हजार (1000) रूपये एवं दस (10) रूपये प्रतिदिन के स्थान पर एक सौ (100) रूपये प्रतिदिन प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

(ix) धारा- 175(2) में अंकित पचास (50) रूपये के स्थान पर पाँच सौ (500) रूपये प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

(x) धारा- 176(2) में अंकित पचास (50) रूपये के स्थान पर पन्द्रह सौ (1500) रूपये एवं दस (10) रूपये प्रतिदिन के स्थान पर एक सौ (100) रूपये प्रतिदिन प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

(xi) धारा- 180(5) में अंकित पचास (50) रूपये के स्थान पर पन्द्रह सौ (1500) रूपये प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

(xii) धारा- 182 में अंकित पच्चीस (25) रूपये के स्थान पर दस हजार (10000) रूपये प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

(xiii) धारा- 184(2) में अंकित बीस (20) रूपये के स्थान पर दो हजार (2000) रूपये प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

(xiv) धारा- 192 में अंकित पाँच सौ (500) रूपये के स्थान पर एक सौ (100) रूपये प्रतिवर्गफीट प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

(xv) धारा- 193 के प्रावधान अधोलिखित रूप में प्रतिस्थापित किया जायेगा -
किसी हालत में जहाँ कमिश्नर यह समझे की किसी जमीन पर किसी इमारत या इमारत के किसी हिस्से का उठवाना, फिर से उठवाना या उसमें परिवर्त्तन करना या कुआँ बनवाना या उसको बढ़वाना धारा-192 के अनुसार अपराध है तो वे उस जमीन के मालिक का दाखिलदार को एक लिखित नोटिस देकर ऐसे उठाने, फिर से उठाने, बदलने, बनाने या बढ़ाने को रोक देने या ध्वस्त करने के लिए कह सकते है । यदि दाखिलदार या जमीन मालिक धारा-192 में यथा प्रावधानित दण्ड शुल्क के भुगतान के बाद भी निदेश के अनुपालन करने में विफल होते हैं तो सूचना देने के सात दिनों बाद कमिश्नर को उस अवैध निर्माण को ध्वस्त करने का अधिकार होगा और ध्वस्त करने में होने वाले व्यय की वसूली जमीन के मालीक या दाखिलकार से ही की जायेगी ।

(xvi) धारा- 194(2) में अंकित एक सौ (100) रूपये के स्थान पर एक हजार (1000) रूपये एवं बीस (20) रूपये प्रतिदिन के स्थान पर दो सौ (200) रूपये प्रतिदिन प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

(xvii) धारा- 203(1) में अंकित पच्चास (50) रूपये के स्थान पर दो हजार (2000) रूपये प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

(xviii) धारा- 203(2) में अंकित पच्चास (50) रूपये के स्थान पर तीन हजार (3000) रूपये एवं दस (10) रूपये प्रतिदिन के स्थान पर एक सौ (100) रूपये प्रतिदिन प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

(xix) धारा- 211 में अंकित पच्चास (50) रूपये के स्थान पर डेढ़ हजार (1500) रूपये प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

(xx) धारा- 212(2) में अंकित पच्चीस (25) रूपये के स्थान पर पाँच सौ (500) रूपये प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

(xxi) धारा- 214(2) में अंकित बीस (20) रूपये के स्थान पर दो सौ (200) रूपये प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

(xxii) धारा- 215(2) में अंकित पच्चीस (25) रूपये के स्थान पर पाँच सौ (500) रूपये प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

(xxiii) धारा- 218(2) में अंकित पचास (50) रूपये के स्थान पर पाँच सौ (500) रूपये प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

(xxiv) धारा- 220 में अंकित पच्चास (50) रूपये के स्थान पर एक सौ (100) रूपये प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

(xxv) धारा- 220(A)(2) में अंकित एक सौ (100) रूपये के स्थान पर पाँच सौ (500) रूपये एवं दस (10) रूपये प्रतिदिन के स्थान पर एक सौ (100) रूपये प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

(xxvi) धारा- 225(2) में अंकित पच्चास (50) रूपये के स्थान पर एक हजार (1000) रूपये प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

(xxvii) धारा- 227(2) में अंकित पच्चास (50) रूपये के स्थान पर पाँच सौ (500) रूपये प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

(xxviii) धारा- 228(2) में अंकित पच्चास (50) रूपये के स्थान पर पाँच सौ (500) रूपये प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

(xxix) धारा- 230(2) में अंकित पच्चास (50) रूपये के स्थान पर एक हजार (1000) रूपये प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

(xxx) धारा- 233(2) में अंकित पचास (50) रूपये के स्थान पर पाँच सौ (500) रूपये एवं दस (10) रूपये प्रतिदिन के स्थान पर एक सौ (100) रूपये प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

(xxxi) धारा- 236(2) में अंकित पचास (50) रूपये के स्थान पर पाँच सौ (500) रूपये एवं दस (10) रूपये प्रतिदिन के स्थान पर दो सौ (200) रूपये प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

(xxxii) धारा- 240(2) में अंकित पच्चीस (25) रूपये के स्थान पर एक हजार (1000) रूपये प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

(xxxiii) धारा- 242 में अंकित पचास (50) रूपये के स्थान पर पाँच सौ (500) रूपये एवं दस (10) रूपये प्रतिदिन के स्थान पर एक सौ (100) रूपये प्रतिदिन प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

(xxxiv) धारा- 251(2) में अंकित एक सौ (100) रूपये के स्थान पर एक हजार (1000) रूपये प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

(xxxv) धारा- 256(1) में अंकित पचास (50) रूपये के स्थान पर दो सौ (200) रूपये प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

(xxxvi) धारा- 256(2) में अंकित दस (10) रूपये के स्थान पर दो सौ (200) रूपये प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

(xxxvii) धारा- 263 में अंकित पचास (50) रूपये के स्थान पर एक हजार (1000) रूपये एवं दस (10) रूपये प्रतिदिन के स्थान पर एक सौ (100) रूपये प्रतिदिन प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

(xxxviii) धारा- 264(A)(7) में अंकित एक सौ (100) रूपये के स्थान पर एक हजार (1000) रूपये प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

(xxxix) धारा- 271(3) में अंकित पच्चीस (25) रूपये के स्थान पर दो सौ (200) रूपये एवं दस (10) रूपये प्रतिदिन के स्थान पर पचास (50) रूपये प्रतिदिन प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

(xL) धारा- 277 में अंकित दो सौ (200) रूपये के स्थान पर एक हजार (1000) रूपये एवं चालीस (40) रूपये प्रतिदिन के स्थान पर एक सौ (100) रूपये प्रतिदिन प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

(xLi) धारा- 278(4) में अंकित दस (10) रूपये के स्थान पर दो सौ (200) रूपये प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

(xLii) धारा- 279(4) में अंकित बीस (20) रूपये के स्थान पर पाँच सौ (500) रूपये प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

(xLiii) धारा- 281(3) में अंकित पचास (50) रूपये के स्थान पर पाँच सौ (500) रूपये प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

(xLiv) धारा- 282(2) में अंकित एक सौ (100) रूपये के स्थान पर एक हजार (1000) रूपये एवं बीस (20) रूपये प्रतिदिन के स्थान पर दो सौ (200) रूपये प्रतिदिन प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

(xLv) धारा- 283(2) में अंकित दो सौ (200) रूपये के स्थान पर दो हजार (2000) रूपये प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

(xLvi) धारा- 288(1) में अंकित एक सौ (100) रूपये के स्थान पर एक हजार (1000) रूपये प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

(xLvii) धारा- 289(2) में अंकित एक सौ (100) रूपये के स्थान पर पाँच सौ (500) रूपये एवं बीस (20) रूपये प्रतिदिन के स्थान पर एक सौ (100) रूपये प्रतिदिन प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

(xLviii) धारा- 310(1) में अंकित पाँच (5) रूपये के स्थान पर पचास (50) रूपये प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

(xLix) धारा- 311 में अंकित एक सौ (100) रूपये के स्थान पर एक हजार (1000) रूपये प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

(L) धारा- 312 में अंकित एक सौ (100) रूपये के स्थान पर एक हजार (1000) रूपये प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

(Li) धारा- 321(1) में अंकित बीस (20) रूपये के स्थान पर एक सौ (100) रूपये प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

(Lii) धारा- 321(2) में अंकित पाँच (5) रूपये के स्थान पर एक सौ (100) रूपये प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

(Liii) धारा- 322 में अंकित एक सौ (100) रूपये के स्थान पर एक हजार (1000) रूपये प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

(Liv) धारा- 323 में अंकित पचास (50) रूपये के स्थान पर पाँच सौ (500) रूपये प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

(Lv) धारा- 328(1) में अंकित दो सौ (200) रूपये के स्थान पर पाँच सौ (500) रूपये प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

(Lvi) धारा- 329 में अंकित पाँच (5) रूपये के स्थान पर एक सौ (100) रूपये प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

(Lvii) धारा- 331(2) में अंकित बीस (20) रूपये के स्थान पर दो सौ (200) रूपये प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

(Lviii) धारा- 322 में अंकित दस (10) रूपये के स्थान पर पाँच सौ (500) रूपये प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

(Lix) धारा- 333 में अंकित पचास (50) रूपये के स्थान पर एक हजार (1000) रूपये प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

(Lx) धारा- 336 में अंकित पचास (50) रूपये के स्थान पर पाँच सौ (500) रूपये प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

(Lxi) धारा- 351(2) में अंकित एक सौ (100) रूपये के स्थान पर पाँच सौ (500) रूपये प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

(Lviii) धारा- 469(2) में अंकित बीस रूपये के स्थान पर दो हजार रूपये प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

(Lix) धारा- 471(2)(d) में अंकित एक सौ रूपये के स्थान पर दस हजार रूपये एवं दस रूपये प्रतिदिन के स्थान पर पाँच सौ रूपये प्रतिदिन प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

(Lx) धारा- 472 में अंकित पच्चीस रूपये प्रतिदिन के स्थान पर दो हजार रूपये प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

5. **निरसन एवं व्यावृति :-**

(i) निरसन :- राँची नगर निगम (अंगीकृत एवं संशोधित) अधिनियम - 2001 की दण्ड संबंधी धाराओं के संशोधन, प्रतिस्थापन एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु प्रावधान करने के लिए राँची नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश - 2006 (झारखण्ड अध्यादेश, 03, 2006) को इसके द्वारा निरसित किया जाता है ।

(ii) व्यावृति :- ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के द्वारा अथवा के अधीन प्रदत्त शक्ति के प्रयोग में किया गया कोई भी कार्य अथवा कोई भी कार्रवाई इस अधिनियम द्वारा या के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अधीन किया गया था, अथवा की गयी थी समझी जाएगी, मानो यह अधिनियम उस दिन प्रवृत था, जिस दिन यह कार्य किया गया था अथवा कार्रवाई की गई थी ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
प्रशान्त कुमार,
सचिव-सह-विधि परामर्शी,
विधि (विधान) विभाग, झारखण्ड, राँची ।

सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

30 अग्रहायण, 1940 (श०)

संख्या- 1142 राँची, शुक्रवार, 21 दिसम्बर, 2018 (ई०)

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

6 नवम्बर, 2018

संख्या-एल०जी०-25/2016-177/लेज०-- झारखंड विधान मंडल का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर माननीया राज्यपाल दिनांक 25 अक्टूबर, 2018 को अनुमति दे चूँकि है, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है ।

झारखण्ड नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2018

(झारखंड अधिनियम, 21, 2018)

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ -

1.1 यह अधिनियम ''झारखण्ड नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2018'' कहा जायेगा।

1.2 इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

1.3 यह झारखण्ड गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।

2. अध्याय-1 की धारा-2 की उपधारा-21 A के परन्तुक में निम्नवत् जोड़ा जाता हैः-

परन्तु यह कि, ऐसा कोई व्यक्ति, जो किसी राजनीतिक दल द्वारा प्रायोजित नहीं है, महापौर/अध्यक्ष/उप महापौर/उपाध्यक्ष के निर्वाचन में स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में भाग ले सकेगा तथा ऐसे व्यक्ति को निर्वाची पदाधिकारी के द्वारा विधिवत् चुनाव चिन्ह आवंटित किया जायेगा, जो भारत निर्वाचन आयोग के चुनाव चिन्ह (आरक्षण एवं आवंटन) आदेश, 1968 के सुसंगत प्रावधानों के तहत् होगा।

3. अध्याय-1 की धारा-2 की उपधारा-102 की तीसरी पंक्ति के अंत में-''दल/पार्टी चिन्ह'' से तात्पर्य ''निर्वाचन प्रतीक'' भी है, जोड़ा जाता है।

4. अध्याय-1 की धारा-2 की उपधारा-103 के तृतीय पंक्ति में ''के पारा-7'' को विलोपित किया जाता है।

5. अध्याय-1 की धारा-2 की उपधारा-103 में स्पष्टीकरण के रूप में निम्नवत् अन्तःस्थापित किया जाता हैः-

''राज्य स्तरीय दल से तात्पर्य झारखण्ड राज्य के लिए मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय/राज्यीय दल है।''

6. अध्याय-1 की धारा-2 की उपधारा-103 के पश्चात्, उपधारा-104 निम्नवत् सम्मिलित किया जाता हैः-

नगरपालिका क्षेत्र का अभिप्रेत ऐसे क्षेत्र से है जिसे राज्य सरकार जनहित में किसी अधिसूचित क्षेत्र समिति के क्षेत्र, जनगणना शहर, बसावट, पहाड़ी क्षेत्र, तीर्थ स्थल, पर्यटन स्थल या मंडी के रूप में अधिसूचित करे।

7. अध्याय-2 की धारा-13 (2) के पश्चात् 13 (3) निम्नवत् जोड़ा जाता हैः-

राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा जनहित में किसी अधिसूचित क्षेत्र समिति क्षेत्र, जनगणना शहर अथवा बसावट क्षेत्र में इस अधिनियम के लागू होने की घोषणा करते हुए नगरपालिका क्षेत्र के रूप में घोषित कर सकेगी ताकि कालक्रम में उक्त क्षेत्र के नगर निगम, नगर परिषद् अथवा नगर पंचायत के रूप में उत्क्रमण की दशा में इस अधिनियम को लागू करने में कोई व्यवधान न हो। इस क्रम में ऐसे शहरी क्षेत्र में झारखंड पंचायत राज अधिनियम, 2001 (यथा संशोधित) के उपबंध लागू नहीं होंगे।

8. अध्याय-4 की धारा-26 की उपधारा-(3) एवं धारा-28 की उपधारा-(3) के प्रथम पंक्ति में ''सामान्य'' शब्द को विलोपित किया जाता है।

9. अध्याय-4 की धारा-29 की उपधारा-(2)(क) में महापौर के साथ ''उपमहापौर'' तथा धारा-29 की उपधारा-(2)(ख) में अध्यक्ष के साथ ''उपाध्यक्ष'' शब्द को अन्तःस्थापित किया जाता है।

10. अध्याय-4 की धारा-29 की उपधारा-(2)(ग) एवं उपधारा-2(घ) को विलोपित किया जाता है।

11. अध्याय-4 की धारा-30 की उपधारा-4 एवं उपधारा-5 के स्पष्टीकरण के रूप में निम्नवत् अन्तःस्थापित किया जाता है-

परन्तु यह कि सम्प्रति अप्रत्यक्ष रीति से निर्वाचित एवं कार्यरत उपमहापौर/उपाध्यक्ष का कार्यकाल संबंधित निकाय के बचे हुए कार्यकाल तक होगा।

उपमहापौर/उपाध्यक्ष के पद की आकस्मिक रिक्ति की स्थिति में संबंधित निकाय के बचे हुए कार्यकाल तक उक्त पद के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन की कार्रवाई की जाती रहेगी।

12. अध्याय-10 की धारा-95 के शीर्षक एवं उपधारा-1 एवं 2 को संशोधित करते हुए निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता हैः-

महापौर/अध्यक्ष और उपमहापौर/उपाध्यक्ष को हटाने की राज्य सरकार की शक्ति।

(1) यदि राज्य सरकार के मत में, महापौर/अध्यक्ष अथवा उपमहापौर/उपाध्यक्ष परिषद की लगातार तीन से अधिक बैठकों में बिना पर्याप्त कारण के अनुपस्थित रहने अथवा जानबुझकर इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों एवं कर्तव्यों को करने से उपेक्षा करने या इन्कार करने अथवा अपने कर्तव्यों के निर्वहन में कदाचार का दोषी पाये जाने या अपने कर्तव्यों के निर्वहन में शारीरिक या मानसिक तौर पर अक्षम होने या किसी आपराधिक मामले का अभियुक्त होने के चलते छह माह से अधिक फरार होने का दोषी हो तो राज्य सरकार महापौर/अध्यक्ष अथवा उपमहापौर/उपाध्यक्ष को स्पष्टीकरण हेतु समुचित अवसर प्रदान करने के उपरान्त आदेश द्वारा उसे पद से हटा सकेगी।

(2) इस प्रकार हटाया गया महापौर/अध्यक्ष अथवा उपमहापौर/उपाध्यक्ष भविष्य में राज्य के किसी शहरी स्थानीय निकाय से निर्वाचन का पात्र नहीं होगा।

13. अध्याय-45 की धारा-577 की उपधारा-(1) पहली पंक्ति में प्रत्येक शब्द के बाद ‘‘निर्वाचन लड़नेवाले‘‘ अन्तःस्थापित किया जाता है।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

संजय प्रसाद,
प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी
विधि विभाग, झारखंड, राँची।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 1142 -- 50

सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

7 कार्तिक , 1943 (श०)

संख्या-546 राँची, शुक्रवार, 29 अक्टूबर, 2021 (ई०)

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

28 अक्टूबर, 2021

संख्या-एल०जी०-25/2016-72–लेज०झारखंड विधान मंडल का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर माननीय राज्यपाल दिनांक-21/10/2021 को अनुमति दे चुकें है, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है ।

झारखण्ड नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2021

(झारखण्ड अधिनियम संख्या-09, 2021)

भारतीय गणराज्य के 72वें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ-

(1) यह अधिनियम ''झारखण्ड नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2021'' कहा जायेगा ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा ।

(3) यह राजकीय गजट/ई-गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत होगा ।

2. झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011, जिसे इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा जाएगा निम्नांकित संशोधन किया जाएगा:-

(i) मूल अधिनियम के अध्याय-**1** की धारा-**2** की उपधारा-21A, 102 एवं **103** को विलोपित किया जाएगा।

(ii) मूल अधिनियम के अध्याय-**4** की धारा-**26** (6) को विलोपित किया जाएगा।

(iii) मूल अधिनियम के अध्याय-**4** के शीर्षक एवं धारा-**28** को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

धारा-**28** "उपमहापौर और उपाध्यक्ष का निर्वाचन''

"परिषद की बैठक में यथा विहित प्रक्रिया के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण में निर्वाचित पार्षद अपने में से एक उप महापौर अथवा उपाध्यक्ष यथास्थिति का निर्वाचन करेंगे जो गोपनीयता की शपथ लेने के पश्चात् अपने पद को ग्रहण करेंगा।''

(iv) मूल अधिनियम के अध्याय-**4** की धारा-**29** की उपधारा-(2)(क) में सम्मिलित शब्द 'उपमहापौर' एवं धारा-**29** की उपधारा-(2) (ख) में सम्मिलित शब्द 'उपाध्यक्ष' को विलोपित किया जाएगा ।

(v) मूल अधिनियम के अध्याय-**4** की धारा-**29** की उपधारा-(2) (ख) के पश्चात उपधारा-2(ग) एवं उपधारा-(2)(घ) निम्नवत् अन्तःस्थापित किया जाएगाः-

"2(ग) उपामहापौर की दशा में महापौर द्वारा, और

"2(घ) उपाध्यक्ष की दशा में अध्यक्ष द्वारा।''

(vi) मूल अधिनियम के अध्याय-**10** की धारा-**95** के शीर्षक एवं उपधारा-(1) एवं (2) को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाएगाः-

धारा-**95** ''महापौर और अध्यक्ष को हटाने की राज्य सरकार की शक्ति''

(1) "यदि राज्य सरकार के मत में, महापौर या अध्यक्ष परिषद की लगातार तीन से अधिक बैठकों में बिना पर्याप्त कारण के अनुपस्थित रहने अथवा जानबूझकर इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों एवं कर्त्तव्यों को करने से उपेक्षा करने या इन्कार करने अथवा अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन में कदाचार का दोषी पाये जाने या अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन में शारीरिक या मानसिक तौर पर अक्षम होने या किसी आपराधिक मामले का अभियुक्त होने के चलते छः माह से अधिक फरार होने का दोषी हो, तो राज्य सरकार महापौर या अध्यक्ष को स्पष्टीकरण हेतु समुचित अवसर प्रदान करने के उपरान्त आदेश द्वारा उसे पद से हटा सकेगी ।''

(2) ''इस प्रकार हटाया गया महापौर या अध्यक्ष शेष पदावधि के दौरान महापौर या अध्यक्ष के रूप में पुनः निर्वाचन का पात्र नहीं होगा ।''

(vii) मूल अधिनियम के अध्याय-**1** की धारा-**2** की उपधारा-(104) को इस अधिनियम के प्रवृत होने की तिथि से उपधारा-**102** समझा जाएगा ।

(viii) मूल अधिनियम की धारा-**152** में नई उपधारा (11) निम्नवत् अंतःस्थापित किया जाएगाः-

''(11) पूंजीगत मूल्य (Capital Value) से अभिप्रेत है झारखण्ड मुद्रांक (लिखत का न्यून मूल्यांकन निवारण) (संशोधन) नियमावली, **2012** के नियम **6** के उप नियम (2), (3), (4), (5) एवं (6) के अंतर्गत जिला अवर निबंधक के द्वारा निर्धारित की गई भूमि या भवन की न्यूनतम कीमत से है जो कि संबंधित वित्तीय वर्ष की पहली अप्रैल को प्रचलित हो।''

(ix) मूल अधिनियम की धारा-**152** की उपधारा- (4) एवं (5) को विलोपित किया जाएगा।

(x) मूल अधिनियम की धारा-**152** की उपधारा- (6) को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाएगाः-

''होल्डिंग के पूंजीगत मूल्य की संगणना के प्रयोजनार्थ सम्पूर्ण निर्मित क्षेत्र (Build Up Area) के रूप में संगणित की जायेगी।''

(xi) मूल अधिनियम की धारा-**152** की उप धारा- (1) के खंड (ड.) एवं (छ), उप धारा (7) (8) एवं (9) को विलोपित किया जाएगा।

(xii) मूल अधिनियम के अध्याय-**19** के शीर्षक में प्रयुक्त शब्द ''कर'' को शब्द ''शुल्क'' से प्रतिस्थापित किया जायएगा।

(xiii) मूल अधिनियम की धारा-**173** की उप धारा- (1), (2) एवं (3) में प्रयुक्त शब्द ''कर'' को शब्द ''शुल्क'' से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(xiv) मूल अधिनियम की धारा-**184** की उप धारा (1) में एक नया खण्ड (छ) निम्नवत् अंतःस्थापित किया जाएगा:-

''(छ) निकाय द्वारा दी जा रही नागरिक सुविधाओं को स्थायी/अस्थायी रूप से निलंबित करना।''

(xv) मूल अधिनियम की धारा-**187** की उप धारा (1) के खण्ड (क) को विलोपित किया जाएगा।

(xvi) मूल अधिनियम की अनुसूची के क्रमांक-**197** के पश्चात् नया क्रमांक-**198** को निम्नवत अंतःस्थापित किया जाएगाः-

''(198) अन्य"

(xvii) मूल अधिनियम की धारा-**455** की उपधारा (4) के परन्तुक ''परन्तु यह कि ऐसा शुल्क किसी भी स्थिति में दो हजार पाँच सौ रूपये से अनधिक होगा।'' को विलोपित किया जाएगा।

(xviii) मूल अधिनियम की धारा-**602** में सभी जगहों पर प्रयुक्त शब्द ''कर'' को शब्द ''शुल्क'' से प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

मुकुलेश चन्द्र नारायण,
प्रभारी प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी
विधि विभाग, झारखंड, राँची ।

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना
28 अक्टूबर, 2021

संख्या-एल०जी०-25/2016-73/लेज०--झारखण्ड विधान मंडल द्वारा यथापारित और माननीय राज्यपाल द्वारा दिनांक-21/10/2021 को अनुमत **झारखण्ड नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम**, **2021** का निम्नांकित अंग्रेजी अनुवाद झारखंड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा ।

The Municipal (Amendment) Act, 2021
(Jharkhand Act No. 09, 2021)

An Act to amend Jharkhand Municipal Act, 2011 be it enacted in the 72nd year of Republic of India, by Jharkhand State Legislature as follows:-

1. **Short title, extent and commencement**-

(1) This Act may be called the Jharkhand Municipal (Amendment) Act, 2021.

(2) It shall extend to the whole of the State of Jharkhand.

(3) It shall come into force from the date of publication in the official gazette/e-gazette.

2. Following amendments shall be made in the Jharkhand Municipal Act, 2011 hereinafter referred as the Principal Act:-

(i) Sub-section 21A, 102 and 103 of Section 2 of Chapter 1 of the Principal Act shall be omitted.

(ii) Sub-section 26(6) of Chapter 4 of the Principal Act shall be omitted.

(iii) Title and Section 28 of Chapter 4 of the Principal Act shall be substituted as follows:

Section-28 "Election of Deputy Mayor and Vice-Chairperson"-

"The elected councillors shall in a meeting of the council elect in accordance with such procedure as may be prescribed by the State Government one from amongst themselves to be the Deputy Mayor or the Vice-Chairperson, as the case may be, who shall assume office forthwith after taking the oath of secrecy."

(iv) The word 'Deputy Mayor' refered to in sub-section 2(a) of section-29 of the Principal Act and the word 'Vice-Chairperson' refered to in sub-section 2(b) of section-29 shall be omitted.

(v) Sub-section 2(c) and sub section 2(d) shall be inserted after sub-section 2 (b) of section 29 of Chapter-4 of the Principal Act as follows:

"2(c) in the case of Deputy Mayor, by the Mayor, and

2(d) in the case of Vice Chairperson, by the Chairperson."

(vi) Title and Sub-section 1 and 2 of Section 95 of Chapter 10 of the Principal Act shall be substituted as follows:

"Power of State Government to remove Mayor and Chairperson :"

(1) "If in the opinion of the State Government, the Mayor or the Chairperson absents himself without sufficient cause for more than three consecutive meetings of the Council or willfully omits or refuses to perform their functions and duties under this Act, or is found to be guilty of misconduct in the discharge of their duties or becomes physically or mentally incapacitated for performing his duties or is absconder, being an accused in a criminal case for more than six months, the State Government may, after giving the Mayor or the Chairperson a reasonable opportunity for explanation, by order, remove him from office. "

(2) "The Mayor or the Chairperson so removed shall not be eligible for re-election as Mayor or the Chairperson during the remaining term of office."

(vii) Sub-section 104 of Section 2 of Chapter 1 of the Principal Act shall be read as Sub-section 102 after the enactment of this Act.

(viii) In Section 152 of the Principal Act, a new sub-section(11) shall be inserted as follows:

"(11) As per Jharkhand Stamp(Prevention of undervaluation of instruments)(Amendment) Rules 2012, sub-rule (2),(3),(4),(5) and (6) of Rule-6, Capital value means the minimum price of the land or building determined by the District under Registrar prevailing on the first April of the respective financial year"

(ix) Sub-section (4) and (5) of Section 152 of the Principal Act shall be omitted.

(x) Sub-section(6) of Section 152 of the Principal Act shall be substituted as follows:
"For calculation of capital value of Holding, built up area shall be considered".

(xi) Clause (e) and (g) of sub-section (1) and sub-section (7) ,(8) and (9) of Section 152 of the Principal Act shall be omitted.

(xii) In Title of Chapter 19 of the Principal Act, the word "tax" shall be substituted by the word "fees"

(xiii) In sub- section (1),(2) and (3) of Section 173 of the Principal Act, the word "tax" shall be substituted by the word "fees".

(xiv) In sub-section (1) of Section 184 of the Principal Act, a new clause (g) shall be inserted as follows:

"(g) *suspension of civil amenities provided by ULB temporarily/permanently".*

(xv) Clause (a) of sub-section (1) of Section 187 of the Principal Act shall be omitted.

(xvi) In Schedule to the Principal Act, a new serial number (198) shall be inserted after serial number (197) as follows:
"(*198) Others*"

(xvii) Proviso of sub-section (4) of Section 455 of the Principal Act "*Provided that no such fees shall exceed two thousand and five hundred rupees in any case*." shall be omitted:

(xviii) Words "tax" used at all places in Section 602 of the Principal Act, shall be substituted by the word "fees".

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

मुकुलेश चन्द्र नारायण,
प्रभारी प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी
विधि विभाग, झारखंड, राँची ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 546 -- 50

सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

27 माघ, 1944 (श०)

संख्या - 92 राँची, गुरूवार, 16 फरवरी, 2023 (ई०)

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

15 फरवरी, 2023

संख्या-एल०जी०-25/2016-17–लेज० झारखंड विधान मंडल का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर माननीय राज्यपाल दिनांक-10/02/2023 को अनुमति दे चुके है इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है ।

झारखण्ड नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2022

(झारखण्ड अधिनियम संख्या- 04, 2023)

विषय वस्तु

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ

2. झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा-27 में संशोधन

झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 में संशोधन हेतु अधिनियम।

भारत गणतंत्र के 73वें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो: -

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ

(1) यह अधिनियम 'झारखण्ड नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2022' कहलाएगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा 1 की उप धारा (2) में उल्लिखित प्रावधानों के अनुरूप होगा।

(3) यह अधिसूचना निर्गत किये जाने की तिथि से प्रभावी होगा।

2. झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा 27 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं-

(1) मूल अधिनियम की धारा 27 (2) (ख) -

'' मूल अधिनियम की धारा 27 (2) (ख) में अंकित शब्द समुह ' चक्रानुक्रम में ' को विलोपित किया जाता है।''

(2) मूल अधिनियम की धारा 27 (2) (ग) -

'' मूल अधिनियम की धारा 27 (2) (ग) में अंकित शब्द समुह ' चक्रानुक्रम में ' को विलोपित किया जाता है।''

(3) मूल अधिनियम की धारा 27 (2) (च) के स्पष्टीकरण -

'' मूल अधिनियम की धारा 27 (2) (च) के स्पष्टीकरण में अंकित शब्द समुहों ' अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति तथा ' को विलोपित किया जाता है।''

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

नलिन कुमार,
प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी
विधि विभाग, झारखंड, राँची ।

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

15 फरवरी, 2023

संख्या-एल०जी०-25/2016-18–लेज० झारखंड विधान मंडल द्वारा यथापारित और माननीय राज्यपाल द्वारा दिनांक-10/02/2023 को अनुमत **झारखण्ड नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2022** का निम्नांकित अंग्रेजी अनुवाद झारखण्ड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारत का संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाय ।

Jharkhand Municipal (Amendment) Act, 2022
(Jharkhand Act- 04, 2023)

Subject – Index

PRELIMINARY

1. Short name and commencement
2. Amendment in the Section- 27 of Jharkhand Municipal Act, 2011.

An Act to amend the Jharkhand Municipal Act, 2011

Be it enacted by the legislature of the State of Jharkhand in the Seventy-third year of the Republic of India as follow :-

1. **Short title, extend and commencement –**

(1) This Act may be called the Jharkhand Municipal (Amendment) Act, 2022.

(2) It extends to the whole of the State of Jharkhand as provisioned in Sub Section (2) of Section 1 of Jharkhand Municipal Act, 2011.

(3) It shall come into force from the date of its issuance notification.

2. **Amendment in Section – 27 of Jharkhand Municipal Act, 2011 as follows :-**

(1) In Section 27 (2) (b) of the Principal Act -

" The word group ' by rotation ' written in section-27 (2) (b) of the Principal Act is hereby deleted."

(2) In Section 27 (2) (c) of the Principal Act -

" The word group ' by rotation ' written in section-27 (2) (c) of the Principal Act is hereby deleted."

(3) In Explanation of Section 27 (2) (f) of the Principal Act -

" The word groups ' The Scheduled Castes and Scheduled Tribes and Backward Classes and ' written in Explanation of section-27 (2) (f) of the Principal Act is hereby deleted."

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

नलिन कुमार,
प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी
विधि विभाग, झारखंड, राँची।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 92 -- 50